फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भगवानलाल | **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 13/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 13.08.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम भगवतीलाल पिता कजोडीमल ब्राहम्ण गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बैंक खाता पास बुक की नकल, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में भगवतीलाल पिता कजोडीमल ब्राहम्ण दर्ज हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम भगवानलाल पिता कजोड अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में भी तहसीलदार द्वारा भगवतीलाल पिता कजोडीमल उर्फ भगवानलाल पिता कजोड एक ही व्यक्ति होकर इस नाम का गांव में कोई दूसरा पुरूष नहीं होना बताया हैं। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम भगवानलाल पिता कजोड होना जाहिर आया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा माणक्यावास पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 146, 298, 304, 321, 324, 354, 364, 388, 389, 1144, 1468, 1469, 1753, 1755, 1756, 1771, 1900 किता 17 रकबा 3.4803 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 344, 345, 347 से 350, 477, 478, 1800 किता 9 रकबा 1.6025 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1770 रकबा 0.0243 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1471, 1925, 1927 किता 3 रकबा 0.5423 हेक्टेयर भूमि में खातेदार भगवतीलाल पिता कजोडीमल के बजाय भगवानलाल उर्फ भगवतीलाल पिता कजोड उर्फ कजोडीमल संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।
निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:45 IST
Reason: SelfAttested

(मनीष I.A.S.)
(SDO)मावली